

की संख्या तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा  
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-234/2021  
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत  
श्री रविन्द्र नाथ--विक्रेता

प्रति

श्री राधे कृष्णा ठाकुर--क्रेता

**:-आदेश:-**

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री रविन्द्र नाथ, पिता-स्व० रामेश्वर प्रसाद, ग्राम-पिपरा कलों, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री राधे कृष्णा ठाकुर, पिता-स्व० धनु ठाकुर, ग्राम-टण्डवा (नियर मिडिल स्कूल टण्डवा), पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा के पत्रांक 06/दिनांक, 06.01.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।


प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के नाई हजाम (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य हैं, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री रविन्द्र नाथ, पिता-स्व० रामेश्वर प्रसाद, ग्राम-पिपरा कलों, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता श्री राधे कृष्णा ठाकुर, पिता-स्व० धनु ठाकुर, ग्राम-टण्डवा (नियर मिडिल स्कूल टण्डवा), पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है।


**भूमि का विवरण:-**

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
पिपरा कलों	342	14	09	0.02 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	उ०-निरंजन तिवारी, द०-उमाकान्त, पू०-14 फीट चौड़ा रास्ता, प०-विकास सेटी,
कुल रकबा:-				0.02 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।  
लेखापित एवं संशोधित।



अपर समाहर्ता  
गढ़वा



अपर समाहर्ता  
गढ़वा